राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–5) विभाग

स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड

क्रमांक.प.7(15)चिकि.5 / 2016 जयपुर दिनांक 16/11/016

M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt.Ltd,
103-104 Amarvijay Complex,
Hotel Man Singh Lane, S.C.Road Jaipur- 303007
E.mail: marketing@epsilonhealthcare.com
Tel.0141- 2168318

2791
16/11/16

ED (ESM)
16/11/16

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt.Ltd, Jaipur-द्वारा दायर अपील संख्या–11 के निर्णय दिनांक 10.11.16 के क्रम में AM-II

16/11/16 S-m-D

16/11

M.S on leave so AM-II Please put up the file 16/11/16

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत की गई, द्वितीय अपील की सुनवाई की जाकर अपील का निर्णय दिनांक 10.11.16 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,जयपुर
2.मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,जयपुर
3.प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपोरेशन,लि.जयपुर को-कृपया आदेश की प्रति राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाकर, इस विभाग को अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
4.कार्यकारी निदेशक(प्रोक्यरमेन्ट) राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपोरेशन लि.जयपुर
5.निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज.जयपुर
6.औषधि नियंत्रक(प्रथम / द्वितीय)निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज.जयपुर
7.रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

कमरा नं.4207(मुख्य भवन)शासन सचिवालय,जन पथ,जयपुर–302021(राजस्थान)
दूरभाष नं.0141–5153222–23 एक्सटेंशन,22640(फैक्स नं.0141–2227797
डीएस–5 / डेस्टोप / आरटीआई

राजस्थान सरकार
द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

कमांक प.7(15)चिकि.5/2016 जयपुर दिनांक

द्वितीय अपील सं. 11/2016
अन्तर्गत धारा 38 (4), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., 103-104, Amarvijay Complex, Hotel Man Singh Lane, S.C. Road, Jaipur-302001

अपीलान्ट

बनाम

1- First Appellant Authority, Special Secretary and MD., NHM, Medical & Health Department, Japiur
2- M/s Allengers Medical System Ltd., SCO-212-213-214, Sector-34A, Chandigarh
3- Rajasthan Medical Services Corporation Ltd, Jaipur

रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 10.11.2016

अपील में प्रथम सुनवाई दिनांक 07.10.16 को रखी गई। सुनवाई में राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की तरफ से प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक (ईपीएम) उपस्थित हुए एवं M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur के प्रतिनिधी श्री नवीन जैन, श्री उमेश चंद गुप्ता उपस्थित हुए। M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh का कोई प्रतिनिधी उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान तथ्य सुने गये तथा तथ्यों के आधार पर M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh को उपस्थित होने हेतु सूचित करने का आदेश प्रदान किया गया। द्वितीय सुनवाई दिनांक 10.11.16 को सांय 4:00 बजे रखी गई। सुनवाई में राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की तरफ से प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक (ईपीएम), M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur के प्रतिनिधी श्री नवीन जैन, श्री उमेश चंद गुप्ता, M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh की तरफ से श्रीमती रूही पुरी, उप मुख्य प्रबंधक एवं श्री संजय मुखर्जी उपस्थित हुए।

1. संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आरएमएससीएल द्वारा निविदा सूचना सं. 75 दिनांक 10.04.15 जारी कर Radiology High Frequency Machine (100mA, 300mA, 500mA and 100mA Mobile) चिकित्सकीय उपकरणों की निविदाएं आमन्त्रित की गई। निविदा के आईटम्स की तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स के संबंध में प्री–बिड मीटिंग दिनांक 06.05.15 को आयोजित की गई, प्री–बिड मीटिंग उपरान्त चार फर्मों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए, प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण तकनीकी समिति से कराने उपरान्त तकनीकी समिति की अनुशंषा पर तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स के संबंध में Corrigendum दिनांक 06.07.2015 को प्रकाशित किया गया। Corrigendum में निविदा के आईटम्स की तकनीकी Specification से BIS (Bureau of Indian Standards) की पात्रता का हटाया गया।
2. फर्म M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh द्वारा प्री–बिड उपरांत तथा Corrigendum प्रकाशित होने के बाद आईटम्स की तकनीकी स्पेसिफिकेशन के संबंध में किसी भी तरह की आपत्ति /ज्ञापन निगम को प्रस्तुत नहीं किया।
3. निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 22.07.15 को खोली गई उक्त निविदा अन्तर्गत आईटम्स के लिए 2 फर्मों M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh व M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur ने भाग लिया आरएमएससीएल ने तकनीकी बिडों का मूल्यांकन पूर्ण करते हुए List of Responsive/Non Responsive Bidders वित्तीय बिड खोले जाने बाबत आदेश

क्रमांक 1680 दिनांक 16.10.2015 को जारी करते हुए वित्तीय बिड दिनांक 19.10.2015 को खोली गई।

4. फर्म M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh ने Responsive/Non Responsive Bidders के आदेश क्रमांक 1680 दिनांक 16.10.2015 पर किसी प्रकार की आपत्ति निगम में प्रस्तुत नहीं की। निविदा अन्तर्गत आईटम्स की Final Technical Specification के अनुसार Unit should be approved by AERB की पात्रता का मापदण्ड रखा गया था। दोनों ही निविदादाता फर्मों ने पात्रता के मापदण्ड से संबंधित वैध दस्तावेज निविदा में उपलब्ध करवाये है। अतः दोनों की फर्मों को Technical Responsive घोषित किया गया।
5. फर्म M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh ने वित्तीय बिड खुलने के 15 दिन बाद फर्म M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur के विरूद्ध निगम में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अभ्यावेदन के अनुसार M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur द्वारा Quoted Machines का BIS Certification नहीं होना बताया गया। निविदा आईटम्स के तकनीकी स्पेसिफिकेशन में BIS की पात्रता का मानदण्ड नहीं रखा गया है। अभ्यावेदन का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा भी करवाया गया, तकनीकी समिति अनुसार "In Tender conditions company should have BIS Certificate was not required only AERB Certificate was required".
6. निविदा के अन्तर्गत आईटम्स के तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स में BIS की पात्रता का मापदण्ड नहीं रखा गया है तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स में Unit should be approved by AERB की पात्रता का को रखा गया है जिसकी पूर्ति दोनों ही फर्मों द्वारा की गई है। जिसके आधार पर दोनों फर्मों को Responsive घोषित किया गया। निगम द्वारा इन आईटम्स के लिए पूर्व में भी जारी किये गई निविदाओं में तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स BIS की पात्रता को नहीं रखा गया था। इस संबंध में फर्म M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur द्वारा आरएमएससीएल एवं अन्य राज्यों की उपापन संस्थाओं की निविदा प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें भी केवल AERB ही मांगा गया था एवं BIS नहीं मांगा गया था।

इस संबंध में दोनों कम्पनी एवं आरएमएससी द्वारा दी गई दलीलों को सुनते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को अवलोकन किया गया। M/s Allengers Medical System Ltd., Chandigarh ने निगम द्वारा जारी पूर्व NIB-10 में भी भाग लिया था उस समय BIS की condition नहीं थी फिर भी उस समय फर्म द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। फर्म की प्रतिनिधी श्रीमती रूही पुरी, उप मुख्य प्रबंधक एवं अन्य प्रतिनिधी ने इस पर अपनी सहमति जताई एवं वर्तमान निविदा के संबंध में भी BIS Certificate के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की एवं प्रश्नगत निविदा को प्रचलित विधिक एवं अन्य मापदंडो के अनुरूप मानने की सहमति दी।

अतः अपीलान्ट फर्म M/s Epsilon Healthcare Solution Pvt. Ltd., Jaipur की अपील को स्वीकार करते हुए प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा जारी दर संविदा के अनुसार कार्यवाही जारी रखने के आदेश दिये जाते हैं।

उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। आदेश की प्रति विभाग एवं राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड में संधारित की जावें।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग